

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची—834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांकः ५बी०स्था०व्य०/नि०प्र०-०१(२०१८-१९) - ३७३३ दिनांकः १२/१०/२०१८

प्रेषकः

संजय कुमार, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः— योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक 29/ बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८/७७/बजट, दिनांक 21.02.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल 82.56 लाख रु० (बेरासी लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी०टी०ई०-१०/२०१७-१८ /७७/बजट राँची, दिनांक 21.02.2018 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-४-०५/९८ 2561/वि० (२) दिनांक 17. 04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त ४-२३/२००३/१८०० दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. इस राशि से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विर्निदिष्ट करते हुए कोषागार/उप कोषागार को सूचित करेंगे तथा उसी अनुसार राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
5. निकासी एवम् व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि निकासी के पूर्व जिस कार्य के लिए निकासी की जा रही है उसके लिए यथा योग्य सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी हो एवम् राशि का पूर्ण सदुपयोग कर लिया जायेगा।
6. संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन संरक्षक, क्षेत्रीय/मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा व्यय का सतत अनुश्रवण किया जायेगा। झारखण्ड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-४/यो० बजट-०५/१०-८१९ दिनांक 10.03.2011 को भी द्रष्टव्य रखा जायेगा।
7. राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं०-१७४ एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। सामग्री का क्य वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि ऐसी निकासी कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञाप सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में नियंत्री पदाधिकारी से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा। मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रांसफर अथवा A/c Payee चेक के माध्यम से किया जाएगा।
11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय कराया जायेगा। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा इसका नियमित अनुश्रवण के साथ-साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से Ledger लेखा समय से प्राप्त कर संतुष्ट होते हुए महालेखाकार को भेजा जायेगा।
13. यह आवंटन आपके कार्यालय पत्रांक 2784 दिनांक 31.08.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
14. 01—वेतन इकाई से न्यायालय आदि से आच्छादित, पूर्व में सेवानिवृत्त एवं माह मार्च 2019 तक होने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवम् चालू वित्तीय वर्ष का मंहगाई भत्ता का बकाया को छोड़कर अन्य बकाया वेतनादि की निकासी अगले आदेश तक नहीं की जाय।
15. 33—दूरभाष इकाई में आवंटित राशि कार्यालय एवम् आवासीय कार्यालय के स्थलीय दूरभाष (Landline) एवम् इसके साथ Broad Band Internet के लिए है जिसे हर स्थिति में चालू रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
16. 42—मोटरगाड़ी, इंधन एवं मरम्मति इकाई में आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग, झारखंड सरकार के परिपत्र संख्या—वित्त-4-61/2001-4015/वि० दिनांक 09.11.2001 एवम् पत्र संख्या—वित्त-4-10/2002-996 दिनांक 06.03.2002 तथा अन्य परिपत्रों/ अनुदेशों में निहित प्रावधान के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
17. 37—विद्युत व्यय इकाई में आवंटित राशि का व्यय योजना—सह—वित्त विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक—वित्त-19/वि०नि०/3001/2015-1074/वि० दिनांक 22.03.2017 एवम् वन विभागीय ज्ञापांक—1368 दिनांक 28.03.2017 तथा इस कार्यालय का ज्ञापांक 1428 दिनांक 28. 03.2017 के आलोक में अप्रैल 2015 से विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

आवंटन आदेश पत्र संख्या—BJADA/01-18-19/106B की मूल प्रति अत्र—सह—संलग्न है।

अनु०—यथोऽ:

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BJADA/01-18-19/106B

दिनांक -

12-Oct-2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601001010101 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 01 - वेतन एवं भत्ते 01 - वेतन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64066	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	4,600,000.00 रुपये छहलासीस लाख
2	S 19 240601001010315 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 15 - कार्यालय व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64067	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	200,000.00 रुपये दो लाख
3	S 19 240601001010316 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 16 - किराया, दर, कर Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64068	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	20,000.00 रुपये चीस हजार

योगः

4,820,000.00

क्रमिक योगः

रुपये अड्डतालासीस लाख बीस हजार


22/10/18

(SANJAY KUMAR)

Principal Chief Conservator of Forest,
PCCF, JHARKHAND, RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601001010317 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 17 - मशीन एवं उपकरण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64069	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	60,000.00 रुपये साहठ हजार
5	S 19 240601001010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आरूर्ति एवं सामग्री Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64070	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	80,000.00 रुपये अस्सी हजार
6	S 19 240601001010333 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64071	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	80,600.00 रुपये अस्सी हजार छ: सौ
<hr/>				
योगः				
रुपये पचास लाख चालीस हजार छ: सौ				
क्रमिक योगः				
220,600.00				
<hr/>				
5,040,600.00				
<hr/>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				
<i>220,600.00</i>				
<i>5,040,600.00</i>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601001010334 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 34 - वर्द्धा Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64072	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	35,000.00
8	S 19 240601001010337 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 37 - विद्युत व्यय Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64073	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	270,000.00
9	S 19 240601001010375 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 03 - प्रशासनिक व्यय 75 - जेनरेटर का ईधन Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64074	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	20,000.00
<hr/>				
योग: 325,000.00				
क्रमिक योग: रुपये तीरपन लाख पैसठ हजार छ: सौ 5,365,600.00				
 (SANJAY KUMAR) Principal Chief Conservator of Forest, Jharkhand				
Page 3 of 4 164.100.150.21 Run Date: 12/10/2018				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601001010442 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64075	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	रुपये दो लाख सात हजार एक सौ 
11	S 19 240601001010651 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - निदेशन एवं प्रशासन 06 - अनुदान 51 - मुआवजा Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	64076	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	रुपये छब्बीस लाख तिरयासी हजार तीन सौ 
योग:				2,890,400.00
क्रमिक योग:	रुपये बयासी लाख छप्पन हजार			8,256,000.00

(SANJAY KUMAR)
Principal Chief Conservator of Forest,
Jharkhand, Ranchi